

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.  
dirminority@gmail.com


क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/ 3263

जयपुर, दिनांक: 12/06/2019

**कार्यालय आदेश**

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये आदेश क्रमांक प.101/छात्रावास/नि.अ.मा.वि./2014-15/4669-74 दिनांक 06.07.2015 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक प.101/छात्रावास संचालन/डी.डी.-प्रथम/अ.मा.वि./2012/6970 दिनांक 13.08.2015 के अतिक्रमण में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु स्वीकृत राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश देने हेतु निम्नानुसार प्रवेश कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी(संयोजक)।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी
3. जिला कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार।


  
(कैलाश बैरवा)  
निदेशक

क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/

जयपुर, दिनांक:

**प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीया राज्य मंत्री महोदया, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान।
7. सहायक निदेशक चतुर्थ, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. गुंजन सोनी)  
अतिरिक्त निदेशक